

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का नवम सत्र
दिनांक 13 जुलाई, 2023

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 383,18,77,000/- तीन सौ तिरासी करोड़ अठारह लाख सतहत्तर हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 2-4. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 137,71,99,000/- एक सौ सैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख निन्यानवे हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
6. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

7. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 794,38,57,000/- सात सौ चौरानवे करोड़ अड़तीस लाख सत्तावन हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
8. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

9. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 360,13,55,000/- तीन सौ साठ करोड़ तेरह लाख पचपन हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
10. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की मंत्रिमंडल सचिवालय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

11. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,50,00,000/- एक करोड़ पचास लाख रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
12. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक सहकारिता विभाग

13. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 95,26,000/- पचानवे लाख छब्बीस हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
14. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-उर्जा विभाग

15. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4036,00,02,000/- चार हजार छत्तीस करोड़ दो हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 16-17. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

18. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 36,00,000/- छत्तीस लाख रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

19. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक वित्त विभाग

20. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10196,85,86,000/- दस हजार एक सौ छियाब्बे करोड़ पचासी लाख छियासी हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

21. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

22. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2144,82,53,000/- दो हजार एक सौ चौवालीस करोड़ बयासी लाख तिरपन हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

23. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

24. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,25,00,000/- बारह करोड़ पच्चीस लाख रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

25. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 402,66,95,000/- चार सौ दो करोड़ छियासठ लाख पचानवे हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

27. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

28. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 36,05,58,000/- छत्तीस करोड़ पाँच लाख अठ्ठावन हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

29. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

30. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1123,65,35,000/- एक हजार एक सौ तेईस करोड़ पैंसठ लाख पैंतीस हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 31-33. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

34. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8259,52,04,000/- आठ हजार दो सौ उनसठ करोड़ बावन लाख चार हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 35-37. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

38. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 783,94,51,000/- सात सौ तेरासी करोड़ चौरानवे लाख इक्यावन हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

39. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

40. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 420,91,00,000/- चार सौ बीस करोड़ इक्यानवे लाख रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

41. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

42. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 136,50,00,000/- एक सौ छत्तीस करोड़ पचास लाख रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

43. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

44. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,24,18,000/- पाँच करोड़ चौबीस लाख अठारह हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

45. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

46. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,15,35,000/- छः करोड़ पन्द्रह लाख पैंतीस हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

47. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 18,00,000/- अठारह लाख रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

48. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की संसदीय कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

49. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 19,22,92,000/- उन्नीस करोड़ बाईस लाख बानवे हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

50. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की विधान मंडल नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

51. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 15,31,14,000/- पंद्रह करोड़ इक्तीस लाख चौदह हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

52. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

53. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 319,00,10,000/- तीन सौ उन्नीस करोड़ दस हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

54. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

55. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,00,01,000/- पचास करोड़ एक हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

56. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

57. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2400,07,00,000/- दो हजार चार सौ करोड़ सात लाख रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 58-59. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

60. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,70,01,000/- तीन करोड़ सत्तर लाख एक हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

61. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

62. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 352,50,00,000/- तीन सौ बावन करोड़ पचास लाख रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

63. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

64. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 224,06,70,000/- दो सौ चौबीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 65-66. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

67. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2000,00,00,000/- दो हजार करोड़ रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 68-69. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

70. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1236,73,00,000/- एक हजार दो सौ छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 71-73. श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

74. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 72,37,47,000/- बहतर करोड़ सैंतीस लाख सैंतालीस हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

75. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

76. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,28,37,000/- एक करोड़ अट्ठाईस लाख सैंतीस हजार रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

77. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

78. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 18,00,000/- अठारह लाख रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

79. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

80. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 16,32,000/- सोलह लाख बत्तीस हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

81. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

82. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7,36,64,000/- सात करोड़ छत्तीस लाख चौसठ हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

83. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

84. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध 5959,57,62,000/- पाँच हजार नौ सौ उनसठ करोड़ सतावन लाख बासठ हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

85. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

86. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 305,55,01,000/- तीन सौ पाँच करोड़ पचपन लाख एक हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 87-88. श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

89. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 25,29,70,000/- पचीस करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

90. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

91. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1497,54,90,000/- एक हजार चार सौ सतानवे करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

92. श्री अरूण शंकर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

पवन कुमार पाण्डेय


प्रभारी सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कर्तव्य प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-07/2023- 3564 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-07/2023- 3564 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।




(असीम कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-07/2023- 3564 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

